

हुई। वसुधापत्र उक्तपत्र उपस्थित। प्रकरण में वसुधा
वसुधापत्र उक्तपत्र पूर्व में सुनी जा चुकी है। वसुधा
वसुधा वसुधापत्र उक्तपत्र ने मुद्राधिक राजीनामा दाय
दिली किसे जाने का निवेदन किया।


पञ्चावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट,
वसुधापत्र एवं राजीनामों का अवलोकन किया
गया एवं वसुधा वसुधापत्र उक्तपत्र पर सौद
गनन किया गया। इति विवाहित पत्रकारों द्वारा
राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय
द्वारा तस्वीर भी किया जा चुका है। उक्त
वाद, वादीगण मुद्राधिक राजीनामा दिनांक 13/12/19
स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-



आदेश

तब ग्राम नीमडी पं. हं. वासडी तहसील
खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 35 रकबा
2.15 हं., 43 रकबा 1.41 हं. सम्पूर्ण में से वादी
सं. 1 को $\frac{1}{5}$ हिस्से का, वादी सं. 2 ता 6 को $\frac{1}{5}$
हिस्से का, वादी सं. 7 को $\frac{1}{5}$ हिस्से का, वादी सं.
8 को $\frac{1}{5}$ हिस्से का, वादी सं. 9 ता 13 को $\frac{1}{5}$ हिस्से
का श्रावदार काश्तकार घोषित किया जाकर
उक्त खसरा नम्बरान से प्रतिवादी सं. 1 ~~सं. 1~~, मृतक
बहादुर सिंह, मृतक भागीरथ सिंह, मृतक गिरधरान

सहायक कलक
(फाट टैक) खण्डे

पुत्र शिवरदन मृगक हंसा केवर का नाम हजफ
 किया जाता है। जब नं पुत्र शकवा 0.45 से 0.45 तक
 का प्रतिवारी सं 2 ता 4 को खोलेदार काशकर
 घोषित किया जाकर जब ख. नं पुत्र के वारिष्ठा
 प्रतिवारी नं 1. मृगक वाडर सिंह, मृगक भागीरथ सिंह
 मृगक शिवरदान पुत्र शिवरदन, मृगक हंसा केवर
 का नाम हजफ किया जाता है। ख. नं 99/334
 शकवा 0.45 से 0.45 में से वारी सं 1 को $\frac{1}{10}$ हिस्से का,
 वारी सं 2 ता 6 का $\frac{1}{10}$ हिस्से का, वारी सं 7 को
 $\frac{1}{10}$ हिस्से का, वारी सं 8 को $\frac{1}{10}$ हिस्से का, वारी
 सं 9 ता 13 को $\frac{1}{10}$ हिस्से का एवं प्रतिवारी सं
 2 ता 4 को $\frac{1}{2}$ हिस्से का खोलेदार काशकर घोषित
 किया जाकर इस ख. नं 99/334 से प्रतिवारी नं 1,
 मृगक बहादुर सिंह, मृगक शिवरदान, मृगक भागीरथ
 सिंह, मृगक हंसा केवर का नाम हजफ किया जाता
 है। इसानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दराफ्त
 हो। तदनुसार प्रकरण में पचा डिफ्री जारी
 हो। यह निर्णय आज दिनांक 17/2/2021 को
 मेरे द्वारा दस्तावेजित कर न्यायालयी मुद्रा सहित
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (रकुंश कुमार)
 सहायक कलेक्टर
 (सहायक कलेक्टर)
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला



20-9-15

व्यवस्थापक अर्थात् आवेश 07 नियम 1 सीपी
 व्यवस्था संख्या - F.T. 139
 विभाग सिंह विमानसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणदास
 सुनील 2 मदनकंवर पत्नी स्व. श्री बहादुरसिंह
 सुनील 3 सुरेश सिंह पुत्र स्व. श्री बहादुरसिंह
 सुनील 4 पूनम पुत्री स्व. श्री बहादुरसिंह आयु
 सुनील 5 सोनम पुत्री स्व. श्री बहादुरसिंह आयु
 सुनील 6 मोनीका पुत्री स्व. श्री बहादुरसिंह आयु
 सुनील 7 रतनसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणदास
 सुनील 8 रघुवीरसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणदास
 सुनील 9 मदनकंवर पत्नी स्व. श्री भागीरथ
 सुनील 10 अजीतसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
 सुनील 11 रेवतसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
 सुनील 12 अजयसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
 सुनील 13 प्रदीपसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
 समस्त जाति चारण निवासी
 खण्डेला जिला सीकर राजस

1. मालसिंह पुत्र श्री शम्भूदान
 2. मदनकंवर पत्नी स्व. श्री भागीरथ
 3. भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
 4. भरतसिंह पुत्र स्व. श्री भागीरथ
- समस्त जाति चारण
 खण्डेला जिला सीकर